5रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

10रु. COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(51)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प उज्जैन म.प्र.

प्रकरण क्रमांक –   /2018 निगरानी

PBR/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2018/02205

1. राजूबाई पति स्व. नानूराम,
2. ईश्वर पिता स्व. नानूराम
   निवासीगण ग्राम बिछड़ोद खालसा
   तह. घट्टिया जिला उज्जैन म.प्र.

——–निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

1. कमल पिता स्व. नानूराम,
   निवासी ग्राम बोलासा तह. व जिला
   उज्जैन म.प्र.।
2. शांताबाई पुत्री स्व. नानूराम पति
   कमल किशोर पाटीदार
   निवासी ग्राम कचनारिया तह.
   तराना जिला उज्जैन म.प्र.।
3. पवित्राबाई उर्फ बबीता पुत्री स्व.
   नानूराम पति राजेन्द्रसिंह निवासी
   ग्राम भीमपुरा तह. घट्टिया जिला
   उज्जैन म.प्र.।
4. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर उज्जैन

——– अनावेदकगण

जे.एम. जाधव 21/3/18

कैम्प उज्जैन पर [illegible]
अधि. श्री जे.एम. जाधव
द्वारा प्रस्तुत

21/3/18

निगरानी अंतर्गत् धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

विरूद्ध तहसीलदार महोदय, घट्टिया जिला उज्जैन म.प्र. के प्रकरण क्रमांक 2–अ–27/2017–2018 के आदेश दिनांक 14/03/2018 से असंतुष्ट एवं दुःखी होकर प्रस्तुत है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2018/02205

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-6-2018	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार, घट्टिया के आदेश दिनांक 14-3-18 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीदार द्वारा प्रकरण में कार्यवाही रोकने का कोई औचित्य नहीं होने से आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178(1) का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । अत: यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	